विडंबना ▶ सरकारी गोदाम में चल रहा मटियारी हाईस्कूल

10 साल से टपकती छत के नीचे भविष्य गढ़ने मजबूर छात्र

मेंहदवानी/डिंडौरी, नवभारत 1 अगस्त। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के दावे करने वाले तंत्र की हकीकत देखनी हो तो मेंहदवानी विकासखंड के मटियारी हाईस्कूल पहुंच जाइए। यहां पिछले 10 वर्षों से हाईस्कूल का संचालन एक सरकारी राशन गोदाम में किया जा रहा है। जिस भवन में कभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन रखा जाता था, उसी जर्जर गोदाम में आज कक्षा 9वीं और 10वीं के करीब 60 छात्र-छात्राएं अपने भविष्य के सपने संजो रहे हैं।

हालात इतने बदतर हैं कि स्कूल में न तो पर्याप्त कक्षाएं हैं, न विज्ञान प्रयोगशाला, न लाइब्रेरी, न खेल मैदान और न ही शौचालय। बरसात के दिनों में छत जगह-जगह से टपकती है, जिससे बच्चों और शिक्षकों को पढ़ाई के दौरान लगातार परेशानी झेलनी पड़ती है। मजबूरी ऐसी है कि छात्र बारिश के बीच भी इसी जर्जर भवन में बैठकर पढ़ाई करने को विवश हैं। स्कूल एक शिक्षक ने बताया कि 1 जुलाई 2015 को स्कूल खुलने के बाद से ही यह समस्या बनी हुई है। तब से आज तक हाईस्कूल का अपना भवन नहीं बन पाया। पिछले दस वर्षों में न जाने कितनी छात्र-छात्राएं यहां से पढ़कर आगे बढ़ गईं, लेकिन स्कूल की स्थिति जस की तस बनी हुई है। बच्चों को आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है।

▶ भवन स्वीकृत, लेकिन निर्माण अब भी अधर में

जानकारी के अनुसार हाईस्कूल भवन के लिए शासन से राशि स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में प्रस्तावित बांध परियोजना सहित अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण मामला वर्षों से अटका हुआ है। इस बीच सबसे बड़ा नुकसान उन विद्यार्थियों का हो रहा है, जिनका भविष्य सुविधाओं के अभाव में दांव पर लगा हुआ है।

छात्र बोले- यह स्कूल नहीं, गोदाम है

स्कूल के एक छात्र ने खुलकर अपनी पीड़ा बयां करते हुए कहा कि यह भवन स्कूल जैसा नहीं, बल्कि गोदाम है। बारिश में छत टपकती है, खेल मैदान नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है और बैठने तक में दिक्कत होती है। ऐसे माहौल में पढ़ाई करना बेहद कठिन है।

सवाल यह भी

सरकार शिक्षा के क्षेत्र में करोड़ों रुपये खर्च करने और आधुनिक सुविधाओं वाले विद्यालयों की बात करती है, लेकिन मटियारी हाईस्कूल की तस्वीर इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। आखिर एक दशक तक सरकारी गोदाम में स्कूल संचालित होता रहा और जिम्मेदारों की नजर क्यों नहीं पड़ी? यदि भवन की स्वीकृति मिल चुकी थी तो निर्माण कार्य अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़ा सवाल यह है कि बच्चों के भविष्य की कीमत पर यह इंतजार आखिर कब तक चलेगा?

इनका कहना है

मेंहदवानी ब्लॉक के मटियारी हाईस्कूल भवन को शासन से स्वीकृति मिल चुकी है। भोपाल स्तर पर टेंडर प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही टेंडर खुलेंगे और एजेंसी नियुक्त होगी, निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।

राजेंद्र जाटव, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, जिला डिंडौरी

शिक्षा अधिकारी कार्यालय का छात्रों और अभिभावकों ने किया घेराव

पनागर, नवभारत। शासकीय वरिष्ठ-बुनियादी शाला पनागर को सिगौद स्थानातंरण किये जाने एवं शाला का विखंडन करने का आदेश जिला कलेक्टर एवं जिला एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के द्वारा आदेश जारी किया गया जो आदेश पूर्ण रुप अवैधानिक तथा अव्यवहारिक हैं। जिसका विरोध नगर के एवं स्कूल के छात्र-छात्राओं तथा नगर आम जन, पालक अविभावक ने नगर में रैली निकाल कर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव कर किया एवं तहसीलदार पनागर को कलेक्टर के नाम आदेश वपिस लेने मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शाला बचाओं के संयोजक एड महेन्द्र चक्रवती ने बताया की नगर का 216 वर्ष पुराना स्कूल है इसके विखंडन से पूर्व छात्र छात्रओं को परेशानी होगी जिससे दाखिल खारिज निकलवाने के लिए भटकना पड़ेगा। क्योकि यहा 216 वर्ष पुराना रिकार्ड यहीं पर मिलेगा चुकी अधिकतम लोग यही पढ़े हैं।

छात्रों ने जनजागरूकता रैली निकाल दिया स्वच्छता का संदेश

▶ सड़क-नालियों व डिवाइडर पर कचरा फेंकने वालों पर हुई कार्रवाई

नवभारत, कटंगी, जबलपुर। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन और नगर को स्वच्छ, सुंदर एवं जाम-मुक्त बनाने के उद्देश्य से शनिवार को नगर परिषद कटंगी ने व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान की शुरुआत विद्यार्थियों द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली से हुई। रैली में छात्रों ने स्वच्छता संबंधी नारों के माध्यम से नागरिकों और व्यापारियों को निर्धारित कचरा वाहन में डालने, प्रत्येक दुकान पर डस्टबिन रखने तथा सड़क, नालियों और डिवाइडरों पर कचरा नहीं फेंकने का संदेश दिया।

इसके बाद नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मुख्य बाजार क्षेत्र का सघन निरीक्षण किया। इस मौके पर सार्वजनिक स्थानों, सड़क एवं नालियों में कचरा फेंकने वालों के विरुद्ध मौके पर ही चालानी कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया। साथ ही व्यापारियों को चेतावनी दी गई कि भविष्य में स्वच्छता नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर और अधिक कठोर कार्रवाई की जाएगी।

नगर परिषद ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि बाजार क्षेत्र किसी भी नगर की पहचान होता है। इसे स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाए रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। सभी लोग नगर परिषद के स्वच्छता अभियान में सहभागी बनें। परिषद ने विश्वास व्यक्त किया कि जनसहभागिता से कटंगी नगर स्वच्छ, स्वस्थ और आदर्श नगर के रूप में नई पहचान स्थापित करेगा।

लाखों के चोरी के जेवरात बरामद, आरोपी गिरफ्तार

जबलपुर/पनागर। पनागर पुलिस ने एक घर में हुई लाखों रुपये की चोरी का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सोने-चांदी के जेवरात एवं घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद की है।

पुलिस के अनुसार, 14 जुलाई 2026 को कुशनेर निवासी मनीष कुमार प्रजापति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दोपहर करीब 3:30 बजे अज्ञात चोर उनके सूने मकान का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात एवं नकदी चोरी कर ले गए। शिकायत पर थाना पनागर में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। मौके से मिले फिंगर प्रिंट के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई।

उप पुलिस अधीक्षक विपिन सिंह ने बताया कि जांच के दौरान संदेहियों से पूछताछ में शुभम उर्फ गोलू निषाद एवं सोनू चौधरी ने चोरी की वारदात स्वीकार कर ली। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने लगभग 30 ग्राम सोने के जेवर तथा करीब 750 ग्राम चांदी के जेवर, जिनकी अनुमानित कीमत 4 लाख रुपये है, बरामद किए। साथ ही घटना में प्रयुक्त हीरो स्ट्रीम मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी का कुछ सामान अपने एक अन्य साथी राज उर्फ राजा निषाद के पास बेचने के लिए रखने की जानकारी भी दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। बताया गया है कि मुख्य आरोपी शुभम उर्फ गोलू निषाद के विरुद्ध पूर्व में भी चोरी के आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं।

अवैध शराब से भरा पिकअप वाहन पलटा

▶ 26.13 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त

एक तस्कर गिरफ्तार, दो फरार

शहपुरा, डिण्डौरी, नवभारत। जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शहपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 26.13 लाख रुपये की अवैध अंग्रेजी शराब, पिकअप वाहन एवं मोबाइल फोन जब्त किया है।

मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि शराब तस्करी से जुड़े दो अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक 31 जुलाई की रात मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक पिकअप वाहन में बड़ी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब का परिवहन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना शहपुरा पुलिस ने दो अलग-अलग टीमों का गठन कर संभावित मार्गों पर नाकाबंदी की।

पुलिस को देखते ही भागा चालक और पलटा वाहन

नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने संदिग्ध पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक वाहन को तेज गति से भगाने लगा। पीछा करने के दौरान शहपुरा-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-45 स्थित विक्की ढाबा के पास चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिससे पिकअप सड़क पर पलट गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन की जांच की तो ट्रॉली में त्रिपाल के नीचे अंग्रेजी शराब की पेटियां भरी मिलीं।

शहडोल से जबलपुर जानी थी शराब

पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद परवेज खान निवासी मोती नाला, हनुमानताल, जबलपुर ने बताया कि शराब शहडोल निवासी ज्वाला सिंह ने उसे जबलपुर निवासी राजेश तक पहुंचाने के लिए दी थी। पुलिस ने आरोपी परवेज खान को गिरफ्तार कर उसके साथ ज्वाला सिंह एवं राजेश के विरुद्ध थाना शहपुरा में अपराध दर्ज करते हुए मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 3(5) के तहत मामला कायम किया है।

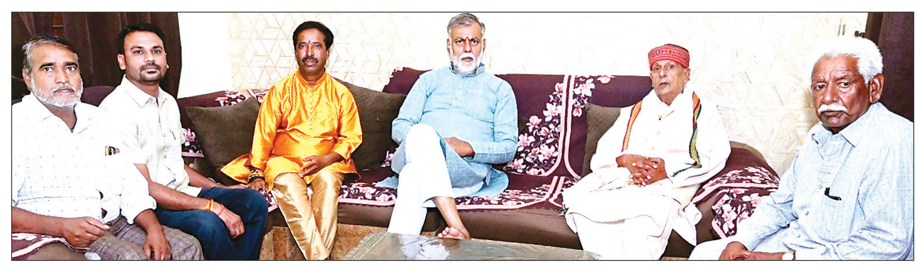

वरिष्ठ नेता की कुशलक्षेम जानने भर्रा पहुंचे प्रहलाद पटेल

नवभारत, बेलखाडू। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल आज सुबह 11 बजे अचानक ग्राम भर्रा पहुंचे। यहां स्थानीय वरिष्ठ भाजपा नेता जुगल किशोर पटेल के घर पहुंच कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी जानी साथ ही दीर्घायु होने की कामना की।

लगभग 80 वर्षीय किसान व वरिष्ठ नेता जुगल किशोर पटेल जीवन काल भाजपा के लिए सक्रिय रहे पिछले वर्ष से वे किडनी की गंभीर समस्या से ग्रसित हैं। इस मौके पर मंत्री प्रहलाद पटेल स्थानीय ग्रामवासियों से भी रूबरू हुए। ग्रामीणों ने भर्रा ग्राम सड़क की कंडम स्थिति की शिकायत की जिस पर मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने तुरंत अधिकारियों से अपडेट लिया। मंत्री पटेल ने अपने कॉलेज के जमाने की मित्रता व भर्रा से जुड़ी यादें भी ग्रामीणों के साथ साझा कीं। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य सतेंद्र सिंह ठाकुर, माधुरी पटेल, गोविंद पटेल, सत्तू पटेल, सुनील पटेल, महेंद्र जैन, ईश्वर सिंह ठाकुर, सौरभ पटेल, सरपंच द्रौपदी रम्मू ठाकुर, बबलू पटेल, रवि पटेल, राकेश नगाइच, सतीश पटेल, अनुराग पटेल, शरमन ठाकुर, संजीत ठाकुर, शिवम पटेल, कृष्णा, अनुभव पटेल सहित ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

जहरीले सांप के काटने से युवक की मौत

▶ परिजनों ने अस्पताल में लापरवाही का लगाया आरोप

अनूपपुर, नवभारत 1 अगस्त। नगर पालिका पसान के वार्ड क्रमांक 7 जमुना कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय युवक की जहरीले सर्प के काटने के बाद उपचार के दौरान जिला चिकित्सालय अनूपपुर में मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परासी में उपचार में लापरवाही, चिकित्सक की अनुपस्थिति तथा शासकीय एंबुलेंस चालक द्वारा पैसे लेने का गंभीर आरोप लगाया है।

पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 7 निवासी अमन सिंह पिता राजेंद्र सिंह उम्र 25 शनिवार सुबह अपने घर के पास मौजूद थे। इसी दौरान एक अज्ञात जहरीले सांप ने उनके दाएं हाथ के अंगूठे में काट लिया। शुरुआत में उन्हें इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर बाद उल्टी, सीने में दर्द और बेचैनी होने लगी। तब उन्होंने परिजनों को घटना की जानकारी दी।

खदान नियमों की अनदेखी, अंडरग्राउंड कर्मचारी बंगले पर चौकीदार

बिरसिंहपुर, नवभारत। एसईसीएल सोहागपुर एरिया के अंतर्गत आने वाले बिरसिंहपुर पाली क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर अंडरग्राउंड में पदस्थ कर्मचारियों से सरफेस में निजी काम कराए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पाली स्थित सवेरिया सब एरिया मैनेजर के बंगले पर अंडरग्राउंड के कर्मचारियों की ड्यूटी चौकीदार के रूप में लगाई जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, पाली की भूमिगत खदान में जिन कर्मचारियों की नियुक्ति अंडरग्राउंड वर्कर के तौर पर हुई है, उन्हें खदान के अंदर के बजाय अधिकारी के बंगले की रखवाली, साफ-सफाई और अन्य घरेलू कार्यों में लगाया गया है। इससे न केवल सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि भूमिगत खदान में पहले से ही कर्मचारियों की कमी के चलते उत्पादन और सुरक्षा दोनों प्रभावित हो रहे हैं।

कंपनी के साथ धोखा

नियमानुसार अंडरग्राउंड कर्मचारियों को विशेष भत्ता और सुविधाएं खदान के अंदर जोखिम भरे कार्य के लिए दी जाती हैं। लेकिन जब यही कर्मचारी सरफेस पर बंगले की चौकीदारी करेंगे तो यह कंपनी के साथ धोखा है।

मजदूरों ने की जांच की मांग

इस संबंध में जब क्षेत्रीय अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। वहीं मजदूरों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मजदूरों जरूरत है कि एसईसीएल प्रबंधन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करे, ताकि खदान के अंदर काम करने वाले वास्तविक कर्मचारियों के साथ न्याय हो सके।

▶ हाजिरी में गड़बड़ी की भी आशंका

श्रमिक नेता बताते हैं कि पाली क्षेत्र में यह कोई नया मामला नहीं है। कई अंडरग्राउंड कर्मचारियों को अधिकारियों की मिलीभगत से सरफेस ड्यूटी पर रखा गया है, जिससे मेहनती कर्मचारियों पर काम का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है और हाजिरी में गड़बड़ी की भी आशंका है।

पमरे मंडल ▶ प्रथम प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित, 41 अधिकारियों को मिला प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र

मैं की बजाय हम की भावना से कार्य करने का दिया संदेश

जबलपुर, नवभारत। पश्चिम मध्य रेल के मानव संसाधन विकास केंद्र, भोपाल में आयोजित प्रथम प्रबंधन विकास कार्यक्रम का शनिवार को रानीकमलापति स्थित ऑडिटोरियम हॉल में गरिमामय वातावरण में समापन हुआ। समापन सत्र की अध्यक्षता महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह ने की।

इस अवसर पर वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक नीरज कुमार, मंडल रेल प्रबंधक भोपाल पंकज त्यागी, मुख्य कारखाना प्रबंधक सीआरडब्ल्यूएस भोपाल प्रफुल्ल वी. कोहाड़े सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अपने संबोधन में महाप्रबंधक ने कहा कि भारतीय रेल केवल परिवहन का माध्यम नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के विश्वास की जीवनरेखा है।

उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से ईमानदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता को कार्य संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। महाप्रबंधक ने कहा कि बदलते दौर में केवल तकनीकी दक्षता पर्याप्त नहीं है, बल्कि नेतृत्व क्षमता, नैतिक मूल्यों, प्रभावी संवाद, टीम भावना और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति भी उतनी ही आवश्यक है। उन्होंने तकनीक को प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि सहयोगी मानते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी नई तकनीकों को अपनाने पर बल दिया। साथ ही सुरक्षा को रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि यह केवल नियमों के पालन तक सीमित नहीं, बल्कि एक मजबूत संगठनात्मक संस्कृति का आधार है। उन्होंने अधिकारियों से मैं की बजाय हम की भावना के साथ कार्य करने का संदेश दिया।

▶ प्रतिभागियों ने साझा किए अनुभव

प्रबंधन विकास कार्यक्रम के दौरान 41 प्रतिभागियों को नेतृत्व एवं नैतिक मूल्य, कार्मिक प्रबंधन, भंडार एवं निवेश नियोजन, लोक प्रशासन में नैतिकता, तनाव एवं स्वास्थ्य प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, आपदा प्रबंधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। अध्ययन भ्रमण, समूह चर्चा और अनुभव साझा सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों के प्रबंधन एवं नेतृत्व कौशल को भी विकसित किया गया। समापन समारोह में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। महाप्रबंधक ने उन्हें कार्यस्थल पर लौटकर कम से कम तीन सकारात्मक बदलाव लागू करने का संकल्प लेने की प्रेरणा दी तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए प्रशिक्षकों, अधिकारियों और आयोजकों की सराहना की।

मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की सख्त कार्रवाई

▶ दो प्रतिष्ठानों से लिए खाद्य नमूने, एक्सपायरी सामग्री कराई नष्ट

शहपुरा नवभारत। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देशानुसार तथा कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन, डिंडौरी द्वारा मिलावटी एवं अमानक खाद्य पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत शहपुरा विकासखंड के बिछिया स्थित दो प्रतिष्ठानों पर सघन निरीक्षण एवं छापामार कार्रवाई की गई।

साहू बेकरी एवं किराना का खाद्य पंजीयन अवधि समाप्त पाया गया, जिस पर संचालक को तत्काल नया पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए। यहां से राइस ब्रान तेल एवं केचप के नमूने जांच के लिए लिए गए। इसके बाद खुशी किराना के निरीक्षण में एक्सपायरी खाद्य पदार्थ विक्रय के लिए रखे मिले, जिन्हें विक्रेता की उपस्थिति में मौके पर ही नष्ट कराया गया।

लायसेंस नदारद

निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान पर आवश्यक खाद्य लाइसेंस उपलब्ध नहीं मिला तथा उसका प्रदर्शन भी नहीं किया गया, जिसके संबंध में वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ की गई। यहां से पनीर एवं दही के नमूने भी जांच के लिए संग्रहित किए गए। इसके साथ ही अन्य दुकानों एवं होटलों का भी निरीक्षण किया गया।

प्रयोगशाला भेजे गए नमूने

दोनों प्रतिष्ठानों से लिए गए खाद्य नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि खाद्य पदार्थ निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं अथवा मिलावट की पुष्टि होती है, तो संबंधित खाद्य व्यवसायियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।